

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर

शाला निरीक्षण प्रपत्र, मान्यता विनियम 1994

(1997 व 1999 में संशोधन सम्मिलित)

1	समिति का नाम	स्व. हरमोजिन सिंह चौकली स्कूल रायपुर
2	अशासकीय संस्था का नाम	कैथियर पॉइंट वेड स्कूल
3	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	क्र.सं. 549/ दि. 16.04.2002
4	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद	श्री. प्रसाद चौहान प्राध्यापक
5	निरीक्षणकर्ता अधिकारी के निरीक्षण आदेश क्रमांक व दिनांक	क्र. नवीनीकरण/निरी/2021/ 5-870/ 20.03.2022
6	निरीक्षण का दिनांक	26.05.2022
7	संस्था के प्राचार्य का नाम	सुश्री रेखा पीचा
8	संस्था के सामान्य सभा तथा प्रबंध मण्डल के गठन की रुपरेखा	संलग्न
9	प्रबंधक अथवा सचिव का नाम	श्री. सुरेन्द्र सिंह चौकली
10	शैक्षिक संस्था के स्टाफ की योग्यता तथा उनके लिए निर्धारित वेतन व वेतनमान	संलग्न
11	कक्षा या कक्षाएँ जिसके लिए मान्यता/नवीनीकरण चाही गई है।	नर्सरी से कक्षा बारहवीं
12	संस्था द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषय / संकाय	विज्ञान/भाषा/कामरा/अर्थ
13	माध्यम जिसमें शिक्षा प्रदाय की जायेगी/की जा रही है।	अंग्रेजी माध्यम
14	कक्षाओं में उपलब्ध स्थान	संलग्न
15	छात्राओं के स्वास्थ्य, खेलकुद तथा अनुशासन के बारे में किए गए प्रावधान	संलग्न
16	छात्राओं तथा अध्यापकों के लिए पुस्तकालय हेतु किये गये प्रबंध तथा अन्य उपकरणों की सुविधा	संलग्न
17	शैक्षणिक संस्था की वित्तीय स्थिति की जानकारी गत वर्ष की वित्तीय स्थिति बताने वाले आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।	संलग्न
18	छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क तथा अन्य शुल्क	संलग्न
18	ली जाने वाली शुल्क का विवरण सूचना पटल में चरप्पा है अथवा नहीं	सूचना पटल में चरप्पा है
19	छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति अथवा अन्य वित्तीय रियासत।	छात्रवृत्ति नहीं दी जाती
20	प्रत्येक कक्षा अथवा सेक्सन में छात्रों की संख्या	अधिकतम 45

1. भूमि - मानक	
1. यदि कुल विद्यार्थी 1500 तक है- न्यूनतम 2 एकड़	न्यूनतम - 2 एकड़
2. यदि कुल विद्यार्थी 1500 अधिक है- न्यूनतम 3 एकड़	-
3. यदि शाला राजमोगी शहर में घनी बस्ती में है तो शाला परिसर न्यूनतम 1 एकड़	-
4. छात्र-छात्राओं के खेलकूद की गतिविधियों के लिए निकटतम दूरी पर खेलकूद का मैदान होना चाहिए अस्थायी व्यवस्था में भी कम से कम 1/2 एकड़ खुली भूमि खेल के लिए अनिवार्य रूप से हो।	खेलकूद का मैदान शाला परिसर में स्थित है 7540 वर्गफीट
5. भूमि क्रय करने एवं भवन निर्माण की कार्ययोजना के संबंध में स्थिति (टीप :- यदि नई संस्था प्रारंभ करते समय संस्था की स्वयं की स्वामित्व की भूमि नहीं है तो संस्था की भूमि क्रय करने एवं भवन निर्माण की कार्य योजना प्रस्तुत करना होगा, संस्था को प्रस्तुत कार्ययोजना का 3 वर्ष में क्रियान्वयन करना आवश्यक होगा।	-
6. कक्षाएँ कितने पालियों में संचालित होती है।	एक पाली
2 भवन का निर्मित क्षेत्रफल	6184 वर्गफीट
1. संचालित - हाई स्कूल (केवल 9वीं एवं 10 वीं तक) न्यूनतम 2000 वर्गफीट	-
2. संचालित - हायर सेकेण्डरी (केवल 11 वीं एवं 12 वीं तक) न्यूनतम 2000 वर्गफीट	-
3. संचालित - प्राथमिक से हाई स्कूल (केवल 01 वीं एवं 10 वीं तक) न्यूनतम 4000 वर्गफीट	-
4. संचालित - प्राथमिक से हायर सेकेण्डरी (केवल 01 वीं एवं 12 वीं तक) न्यूनतम 4000 वर्गफीट	न्यूनतम 4000 वर्गफीट से अधिक है
22 संस्था में किसी भी कक्षा या कक्षा के भाग में 45 से अधिक छात्रों की भर्ती नहीं की जायेगी।	हाँ
23 छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण 3 माह में कम से कम एक बार कराना पड़ेगा।	स्वास्थ्य परीक्षण 3 माह में कराना जाता है
24 संस्था का भवन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए उपलब्ध रहेगा। हाँ या नहीं	हाँ
25 शैक्षणिक संस्था का कोई भी अध्यापक किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। हाँ या नहीं	हाँ
26 शैक्षणिक संस्था द्वारा अनिवार्य रूप शिक्षा नहीं दी जायेगी। हाँ या नहीं	हाँ
27 शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्रबंध समिति का निर्माण किया गया है। हाँ या नहीं	हाँ
28 संस्था द्वारा किसी भी छात्र को 10 वीं अथवा 12 वीं में सीधा प्रवेश नहीं दिया जावेगा। यदि सत्र के दौरान स्थान रिक्त होते हैं तो अप्रैल में मंडल को इसकी सूचना देनी होगी।	हाँ
29 अग्निशमन यंत्र लगा हुआ है या नहीं	हाँ
30 शौचालय हैं या नहीं	हाँ
31 विद्यालय फीस समिति का गठन किया गया है या नहीं, यदि हाँ तो प्रमाण संलग्न करें	हाँ संलग्न
32 निरीक्षणकर्ता अधिकारी का अभिमत	मान्यता नावेनीकरण हेतु अनुमति की जाती है।

हस्ताक्षर
निरीक्षणकर्ता अधिकारी